क्रम-संख्या–257

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 सितम्बर, 2015

भाद्रपद 18, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1220/79–वि–1–15–1(क)28-2015
लखनऊ, 9 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015, पर दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 2015]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अगतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-28, सन् 2005 की धारा 7 का संशोधन

2– डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे :

परन्तु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो वे भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष का पद धारण करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेंगे।"

धारा 9 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् का अध्यक्ष (चेयर परसन) होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति महापरिषद् का सचिव होगा :

परन्तु यदि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहता है, तो वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद् के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिये नाम निर्दिष्ट करेगा।"

उद्देश्य और कारण

'डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005' का अधिनियमन विधि और विधिक प्रक्रिया की जानकारी एवं ज्ञान की अभिवृद्धि व प्रसार करने और विद्यार्थियों एवं शोध छात्रों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं तथा विधान एवं तत्समान विषयों में कौशल का विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिये किया गया था। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के 'कुलाध्यक्ष' हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री विश्वविद्यालय की महापरिषद् के अध्यक्ष (चेयन परसन) हैं। उपरोक्त गणमान्य व्यक्तियों से बहुआयामी प्रकृति के कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन अपेक्षित है। विश्वविद्यालय के 'कुलाध्यक्ष' और विश्वविद्यालय की महापरिषद् के अध्यक्ष को सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रति न्याय करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन किया जाय।

तदनुसार डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 1220(2)/LXXIX/V-1-15-1(ka)28-2015
Dated Lucknow, September 09, 2015

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Doctor Ram Manohar Lohiya Rashtriya Vidhi Vishwavidyalaya Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 07, 2015 :-

DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2015

[U. P. Act No. 9 of 2015]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2015. Short title

2. In section 7 of the Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh Act, 2005 *hereinafter* referred to as the Principal Act *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :– Amendment of section 7 of U.P. Act No. 28 of 2005

"(1) The Chief Justice of India shall be the Visitor of the University:

Provided that in case the Chief Justice of India does not give his consent to hold the office of the Visitor of the University, he shall then nominate any sitting Judge of the Supreme Court of India to hold the office of the Visitor of the University."

3. In section 9 of the principal Act *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted* namely :– Amendment of Section 9

"(2) The Chief Minister of Uttar Pradesh shall be the Chairperson of the General Council and the Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council:

Provided that in the event of the Chief Minister of Uttar Pradesh not being able to Chair the meeting of the General Council, he shall then nominate any Cabinet Minister of Uttar Pradesh to chair the meeting of the General Council."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To advance and disseminate leaning and knowledge of law and legal process and to develop in the students and research scholars a sense of responsibility to serve the society in the field of law by developing skills and in advocacy, judicial and other legal services and legislation and the like 'Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh Act, 2005' was enacted. Hon'ble the Chief Justice of India is the 'Visitor' of the University and The Chief Minister of Uttar Pradesh is the Chairperson of the General Council of the University. The above dignitaries are required to discharge multi-faceted duties and functions. In order to do Justice with the responsibilities assigned to the 'Visitor' of the University and the Chairperson of the General Council of the University it has been decided to amend the relevent sections of the Act.

Doctor Ram Manohar Lohiya National Law University Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 493 राजपत्र–2015–(1160)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 63, सा० विधायी–10–9–2015–(1161)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।